**<u>2012 का विधेयक सं.8</u>**

**राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012**

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 22 की धारा 7 का संशोधन.-** राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 22) की धारा 7 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) भारत का मुख्य न्यायाधिपति या उसका नामनिर्देशिती, जो तत्समय भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।"।

---

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा 7(1) उपबंधित करती है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव ने सूचित किया है कि बहुआयामी कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन को ध्यान में रखते हुए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की यह इच्छा है कि उक्त अधिनियम में यथोचित संशोधन किये जायें ताकि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करने के लिए, समर्थ बनाया जा सके।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया है और उपर्युक्त अधिनियम में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा यथा-वांछित संशोधन करना समुचित समझा गया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

**डॉ. दयाराम परमार,**
**प्रभारी मंत्री।**

## राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 22) से लिये गये उद्धरण

xx xx xx xx

**7. विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष.-** (1) भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी भी विषय पर रिपोर्ट मंगाने का अधिकार होगा।

**xx xx xx xx**

**xx xx xx xx**

**(Authorized English Translation)**

**Bill No. 8 of 2012**

# THE NATIONAL LAW UNIVERSITY, JODHPUR (AMENDMENT) BILL, 2012

**(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

*A*

*Bill*

*to amend the National Law University, Jodhpur Act, 1999.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the National Law University, Jodhpur (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 22 of 1999.-** For the existing sub-section (1) of section 7 of the National Law University, Jodhpur Act, 1999 (Act No. 22 of 1999), the following shall be substituted, namely:-

"(1) The Chief Justice of India or his nominee who is, for the time being, a Judge of the Supreme Court of India, shall be the visitor of the University.".

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 7 (1) of the National Law University, Jodhpur Act, 1999 provides that the Chief Justice of the Supreme Court of India shall be the Visitor of the University. The Secretary General of the Supreme Court of India has conveyed that the Chief Justice of India, having regard to the discharge of multifaceted duties and functions, desires that suitable amendment be made in the Act so as to enable the Chief Justice of India to nominate any Judge of the Supreme Court of India as a visitor to the University.

The aforesaid proposal has been considered and it is thought appropriate to amend the aforesaid Act as desired by the Chief Justice of India.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objects.

Hence the Bill.

डॉ. दयाराम परमार,
**Minister Incharge.**

**EXTRACT TAKEN FROM THE NATIONAL LAW UNIVERSITY, JODHPUR ACT, 1999**
**(Act No. 22 of 1999)**

**XX XX XX XX**

**7. Visitor of the University.-** (1) The Chief Justice of the Supreme Court of India shall be the Visitor of the University.

(2) The Visitor shall preside over the convocation of the University.

(3) The Visitor shall have the right to call for the report on any matter pertaining to the affairs of the University.

**XX XX XX XX**

**<u>2012 का विधेयक सं. 8</u>**

# राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

**राजस्थान विधान सभा**

---

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

---

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

---

**कृष्ण मुरारी गुप्ता,**
**उप सचिव।**

**(**डॉ. दयाराम परमार, **प्रभारी मंत्री)**

**Bill No. 8 of 2012**

# THE NATIONAL LAW UNIVERSITY, JODHPUR (AMENDMENT) BILL, 2012

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

---

*A*

*Bill*

*to amend the National Law University, Jodhpur Act, 1999.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

KRISHAN MURARI GUPTA,
**Deputy Secretary.**

(Dr. Dayaram Parmar, **Minister-Incharge**)